न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 75/22 दायरा दिनांक 26.12.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

भगवानलाल पुत्र पून्या जाति सहरिया निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – वादी

–: बनाम :–

1. क्षेत्रिय वन अधिकारी रेन्ज शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. 1955

निर्णय दिनांक– 01.08.2024

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कुन्दा पटवार हल्का कस्बाथाना में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 33/3 रकबा 5.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है, वादी बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त है, प्रतिवादी कम 1 अथवा अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं है, वादपत्र में उक्त कृषि भूमि को विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वादी ने विवादित आराजी को काफी श्रम व लागत लगाकर उपजाऊ बना लिया है, वादी गत मई जून में मजदूरी गया हुआ था, 15 जून को लौटा व जमीन हांकने गया तो देखा कि प्रतिवादी कम 1 ने विवादित आराजी पर जाने से रोकने के लिये आराजी की मेढ पर जेसीबी से खाई बना दी है। वादी ने दिनांक 31.06.2022 को अन्यत्र स्थान से हंकाई के लिये ट्रेक्टर ले जाने का प्रयास किया तो प्रतिवादी कम 1 ने अपने मातहतों के साथ रोक दिया और ट्रेक्टर चालक को वन अपराध में फंसाकर ट्रेक्टर को जब्त करने की धमकी दी तथा वादी को जाति सूचक व मां बहिन की गालियां देते हुये धमकी दी कि विवादित भूमि को काश्त किया तो झूठे मुकद्में में फंसा देंगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा क्षेत्र की हजारों बीघा वन भूमि पर भूमाफिया को अतिक्रमण हेतु मौन संरक्षण दिया जा रहा है और वादी को खातेशुदा भूमि पर काश्त करने से रोका जा रहा है। प्रतिवादी कम 1 का उक्त कृत्य अवैध व मनमाना है, जिसको रोकने के लिये प्रतिवादी कम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, आदि।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, जिनके बावजूद सूचना उपसिथत नहीं आने पर एकपक्षीय सुनवाई की गई। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई [illegible] प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कुन्दा संवत 2072–75 अनुसार वादी [illegible] आराजी ख.नं. 33/3 रकबा 5.00 बीघा का रिकार्डेड खातेदार साबित है, एवं भूमि नक[illegible] तरमीम है, जसमें अप्रार्थीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार [illegible] प्रतिवादीगण के अ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:18:22 IST
Reason: SelfAttested

8.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

रहने से तथा कोई जबाव पेश नहीं करने से वाद के तथ्यों का कोई खण्डन नहीं हो पाया है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित कृषि भूमि ख.नं. 33/3 रकबा 5.00 बीघा ग्राम कुन्दा तहसील शाहावाद के बावत वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। डिकी पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

01.08.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:18:22 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner